

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 1991

संख्या जे0 डी0-91/7470- पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाये गये अनुसार गांव महंदवाड़ा, , जिला गुड़गांव के प्राथमिक विद्यालय के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव महंदवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 201/91, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के साथ पढ़ा जाए:-

- उत्तर:** बिन्दु “ए” से लेकर अर्थात गांव पुलहवास की आयत संख्या 1 के उत्तर पश्चिमी कोने से लेकर, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 1 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद, दक्षिण की ओर गांव पुलहवास की आयत संख्या 1,2 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 34,33,32 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “बी” तक अर्थात गांव खेरला की आयत संख्या 32 का उत्तरी पूर्वी कोने तक।
- पूर्व:** बिन्दु “बी” से लेकर दक्षिण की ओर गांव खेरला की आयत संख्या 32,37 और 54 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “सी” तक अर्थात आयत संख्या 54 के दक्षिण पूर्वी कोने तक।
- दक्षिण:** बिन्दु “सी” से लेकर पश्चिमी की ओर गांव खेरला की आयत संख्या 54,55 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर गांव पुलहवास की आयत संख्या 11 और 14 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “डी” तक अर्थात आयत संख्या 14 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक।
- पश्चिम:** बिन्दु “डी” से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर गांव पुलहवास की आयत संख्या 13, 12, 8, 9, 6, 7, 4, 3, 2 और 1 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “ए” तक अर्थात प्रारम्भ के बिन्दु तक।

डा0 तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification

The 30<sup>th</sup> April, 1991

No. JD-91/7470- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him the President of India is pleased to declare the area around Primary School at village-Mahandwara, dist. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said namely:-

ANNEXURE

Schedule of Boundary of the controlled area around Primary School at Village-Mahandwara, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 201/91 dated 1<sup>st</sup> February, 1991.

- North:** Starting from point ‘A’ i.e. North-Western corner of Rect. No. 1 of villagePulahwas , thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 1 thence towards South the Eastern boundary of Rect. No. 1,2 of Village Palahawas thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 34, 33, 32 upto Point ‘N’ i.e. North Eastern corner of rect. No. 32 of Village Kherla.
- East:** Starting point ‘B’ towards South along the Eastern boundary of Rect. No. 32,27 and 54 Village Kerla upto point ‘C’ i.e. south Eastern corner of Rect. No. 54.
- South:** Starting point ‘C’ towards West along the southern boundary of Rect. No. 54,55, of village Kherlathence towards South along the Eastern boundary of Rect.no. 11 and 14 of Village Pulahwas upto point ‘D’ i.e. the south Western corner of Rect. No. 14.
- West:** Starting from point ‘D’ towards North West along the western boundary of Rect. No. 13,12,8,9,6,7,4,3,2 and 1 of Village Pulahawas upto point ‘A’ i.e. the point of Start.

**DR. TARSEM LAL**  
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.